प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01390/2021-2022 दिनांक 31/08/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/GON/07288 /2021-2022 पत्रावली संख्या:F-22143 दिनांक:2006-2007

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **इण्डियन लिटरेसी एवं एजुकेशनल सोसायटी,** सरकुलर रोड, तहसील सदर, जिला गोण्डा, गोंडा, **271002** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 639/2006-07 दिनांक-29/08/2006 को दिनांक-29/08/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(DURGESH TRIPATHI)
95F5ADA0C02DA7968DA3B3F3097EFC08B15C904C
Date: 31/08/2021 4:02:50 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-31/08/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

MANAGER
Aims International School
GONDA

AIMS INTERNATIONAL SCHOOL
PRINCIPAL
GONDA

6/2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JU

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH **न्यास विलेख** Y 578998

मैं मतलूब हुसैन खान पुत्र स्व० महबूब हुसैन खान आयु 61 वर्ष निवासी सरकुलर रोड, कर्बला–गोण्डा जिसको इस प्रलेख का संस्थापक न्यासकर्ता (मुख्य न्यासी) कहा गया है, इस प्रलेख के द्वारा एक न्यास कायम कर रहा हूँ जिसका नाम इण्डियन लिटरेसी एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया होगा।

विदित हो कि मैंने एक न्यास प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु गठित किया है। इस न्यास के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाएँ, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यावसायिक शिक्षा, आवासीय विद्यालय, चिकित्सालयों, औद्योगिक विद्यालय, कृषि कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, प्रबन्धकीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली जनसेवाओं का सर्वधर्म सुखाय एवं सर्वधर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति समुदाय के कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं।

1– यह कि न्यास का गठन रू0 11000 से आरम्भ किया जा रहा है।

2– यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय सरकुलर रोड–कर्बला के सामने गोण्डा–उ0प्र0 पर स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम परिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएँ देश व प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जाएगी और उन कार्यालयों के पते उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

3– मतलूब हुसैन खान के त्यागपत्र अथवा निधन के पश्चात् रिक्त हुए संस्थापक मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियमों की संगत व्याख्या एवं

[illegible] ५१०९

[illegible]

[illegible] 29/9/98

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 3AAA 733402

उत्तराधिकारी की परिभाषा के अनुरूप मेरे मुख्य न्यासी (मतलूब हुसैन खान) के उत्तराधिकारी मुख्य न्यासकर्ता के पद को ग्रहण करेंगे।

4– यह कि मैं मतलूब हुसैन खान अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी रहूँगा तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का अध्यक्ष भी कहा जाऊँगा। न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप में नामित करता हूँ। मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जाएगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों का संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जाएगा। भविष्य में भी संस्थापक मुख्य न्यासी के रूप में मेरे जीवन पर्यन्त मेरे द्वारा स्वविवेक से अन्य लोगों को न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में नामित किए जाने का अधिकार मेरे द्वारा सुरक्षित होगा। मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरे निधन के उपरान्त इस न्यास प्रलेख के अनुसार मुख्य न्यासी के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यन्त न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित किए जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

न्यास पत्र

11,000.00	220.00	120	340.00	59
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

न्यास की गति

श्री मतलूब हुसैन खान

पुत्र श्री महबूब हुसैन खान

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी सरकुलर रोड गोण्डा

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/2/2017 समय 2:53PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]सिह(मनोजनिति)
सब रजिस्ट्रार
गोण्डा(सदर)
1/2/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री मतलूब हुसैन खान
पुत्र श्री महबूब हुसैन खान
पेशा कृषि
निवासी सरकुलर रोड गोण्डा

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान परवेज अहमद
मेंहदी हसन
पेशा कृषि
निवासी बाईपास फैजाबाद रोड गोण्डा
व अनिल कुमार श्रीवास्तव

पेशा एडवोकेट, गोण्डा
निवासी
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]सिह(मनोजनिति)
सब रजिस्ट्रार
गोण्डा(सदर)
1/2/2017

3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 733403

न्यासमण्डल के न्यासियों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
01	मतलूब हुसैन खान (51वर्ष)	स्व0 श्री महबूब हुसैन खान	अध्यक्ष/मुख्य न्यासी	सरकुलर रोड, करबला, गोण्डा–उ0प्र0	व्यवसाय	
02	निशात फातिमा (46वर्ष)	पत्नी मतलूब हुसैन खान	कोषाध्यक्ष/न्यासी	उपरोक्त	ट्यूशन टीचर	
03	अर्जिया फातिमा (26वर्ष)	पुत्री मतलूब हुसैन खान	उपाध्यक्ष (न्यासी)	उपरोक्त	नौकरी	
04	मुहम्मद जैफ ताजवर बादशाह खान (26वर्ष)	पुत्र मतलूब हुसैन खान	सचिव /न्यासी	उपरोक्त	नौकरी	

2– न्यास(ट्रस्ट) के उद्देश्य:–

1– ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

2– ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय, डेन्टल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, एन0टी0टी0, आवासीय विद्यालयों, बी0टी0सी0, डी0एड0, टेक्निकल कॉलेजों एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

2017

न्यासी

Registration No.: 6 Year: 2,017 Book No.: 4

0101 मसऊद हुसैन खान

मसऊद हुसैन खान

सरफुल्ला रोड गोण्डा

कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 733404

3- ट्रस्ट द्वारा गरीब और अनाथ बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं निःशुल्क पोषण एवं प्रशिक्षण देना।

4- ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

5- ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।

6- ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक, नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।

7- ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

8- ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।

9- ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।

10- ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।

11- ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्द्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

12- ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारणवश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं, बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कॉरेसपान्डेस कोर्स चलाना।

13- ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन निर्माण करना व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।

14- ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।

17

गवाह

Registration No.: 6 Year: 2017 Book No.: 4

W1 फरोज अहमद

मेहदी हसन

बाईपास फैजाबाद रोड गोण्डा

कृषि

W2 अनिल कुमार श्रीवास्तव

एडवोकेट, गोण्डा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 733406

18– ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, शार्ट हैंड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

19– ट्रस्ट द्वारा वृद्ध, असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

17– ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियों, जलाशयों की सफाई, मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।

18– ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए कार्य करना, कमजोर एवं निर्धन वर्गों को निःशुल्क आवास की व्यवस्था, ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।

19– ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना। परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना। शिशु पालन गृह का संचालन करना।

20– ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों, परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।

21– ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं विश्व बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

22– ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का अभार्जन करना।

23– ट्रस्ट द्वारा महिलाओं की सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा, पौष्टिक आहार पोषण, शुद्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग, स्वास्थ्य उत्थान, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन/कार्यान्वयन व संचालन करना।

24– ट्रस्ट द्वारा विकलांगों, मूक–बधिरों, नेत्रहीनों, मंदबुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागादारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगार परक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व

17

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 733407

मानवाधिकार विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे वे लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें ऐसे कार्य करना।

25– ट्रस्ट द्वारा हथकरघा, पापड़ उद्योग, मशरूम, खाद्य रसायनी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, ललित कला, संगीत, साहित्य अभिनय, गायन, वादन, फोटोग्राफी, ब्यूटीशियन, एड्वाटिंग, जरी कला, फैशन डिजाइनिंग, न्यूट्रिशियन, डॉल मेकिंग, फ्लॉवर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, पेंटिंग, वाल पेंटिंग, मूर्तिकला, पेंटिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्र उद्योग, सिलन डिजाइनी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेंट्स, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, हस्त कागज, लिफाफा, फाइबर गिलास, मशरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, प्राणिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधारोपण, नर्सरी, वनीकरण, वृक्ष रोपण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैंड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

26– ट्रस्ट द्वारा जड़ी–बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार–प्रसार व संरक्षण एवं औषधीय पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करना व जड़ी–बूटियों की खेती करना।

27– ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गंदी बस्तियों के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकता युक्त खाद्य पोषण, दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध करना।

28– जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण नियोजन, लिंगभेद, भ्रूणहत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार, व्यापक अभियान, स्वास्थ्य परीक्षणों का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुँचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना।

29– एच०आई०वी०/एड्स को नियंत्रित करना, न्यूरो मानसिक, कैंसर एवं समस्त असाध्य रोगों की रोकथाम–बचाव हेतु प्रयास करना एवं उक्त हेतु नई–नई औषधियों आदि का अन्य संस्थाओं आदि के सहयोग से अन्वेषण करना व कराना, पेटेन्ट कराना, वितरण करना कराना, चिकित्सालय शिविर,

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556561

चिकित्सालय व मोबाइल चिकित्सालय खोलना व संचालन करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोगों का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक जन जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।

30– ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, आदिवासियों व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहाय लोगों की आवास, पोषण, पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

31– ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

32– ट्रस्ट द्वारा धर्म के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक आदि का प्रकाशन कराना व उसे समुदाय में वितरण कराना।

33– ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान/पौष्टिकता सम्बन्धी जानकारी, पूरक पोषण को बढ़ावा, कम मूल्य के पोषण/पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों/शिशुओं को पोषण/पौष्टिकता सम्बन्धी देखभाल पर विशेष बल एवं अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार–प्रसार करना।

34– पर्यावरण तथा परिस्थितियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामंजस्य स्थापित करना।

35– ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधिकरण उन्नत पद्धतियों द्वारा उत्पादन कर्ता को बढ़ाना, भूमि संरक्षण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंचरण, जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।

36– ट्रस्ट द्वारा सतत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना। स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय आँकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना, उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

37– ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगो की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता, स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमो को संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

भारत | INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556562

38– ट्रस्ट द्वारा [illegible] आयोजन करना, पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, वेश्यावृत्ति उन्मूलन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कर दिशा–निर्देशन एवं प्रचार–प्रसार एवं लोकयाम करना। पर्यटन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, हरियाली कार्यक्रम, ऊसर–बंजर भूमि सुधार, भूमि विकास, गौ संरक्षण, गौ पालन, पशु–पक्षी पालन, प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था, निर्माण एवं संचालन करना, बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की मदद करना।

39– ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ वातावरण, आवास व्यवस्था तथा शान्त वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।

40– ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत,उर्दू भाषाओं के माध्यम से समाचार पत्र/पत्रिकाओं का संचालन व सम्पादन करना।

41– ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफ्ता कैदियों/आजीवन कारावास कैदी के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुनर्स्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा व पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना।

42– ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी /अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यों/परियोजनाओं के प्रबन्धन, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, शोध, सांख्यिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यों का संचालन व मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला, विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षकों व वैज्ञानिकों के सहयोग को उपलब्ध कराना।

43– ट्रस्ट द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/व्यक्तिगत देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण, संचालन, सर्वेक्षण, अन्वेषण, उपस्कर भूमिगत निर्माण, अनुसंधान विकास कार्यान्वयन क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि का कार्य करना।

9

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556563

4– ट्रस्ट द्वारा जनमानस के हितार्थ पोषण, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।

5– ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार का आयोजन करना।

6– ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण एवं शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल स्रोत, स्वच्छता एवं जल संरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख–रखाव व प्रबन्धन करना।

7– ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ आँगनबाड़ी सेवा जनशिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

8– समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला समाज नेडा, सिफसा, यूनेस्को, यू०एन०डी०पी०, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडबी, अवार्ड, नाबार्ड, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, वनविभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, ट्राइसेम, डूडा, सूडा, जलनिगम, जल संसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, सांसदनिधि, विधायक निधि, सैफ इण्डिया, हल्पेज इण्डिया, राजीव फाउन्डेशन, नोराड आक्सफेम इण्डिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/ विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय स्वच्छकार वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग, विकलांग कल्याण निदेशालय , उद्यान विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, शासन द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास, कृषि विकास, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना व खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।

49– ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

10

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556564

50– ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों को जन–जन तक ज्ञान पहुंचाने हेतु कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

51– गाँवों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मत्स्य पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।

52– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

53– ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डारगृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

54– ट्रस्ट द्वारा सोलर एनर्जी चूल्हे, स्ट्रीट लाइट आदि सोलर उपकरणों का भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों को संचालित करना।

55– ट्रस्ट द्वारा सम्पूर्ण भारत एवं समस्त विश्व के किसी भी भाग में धर्मशाला, वृद्धाश्रम, अस्पताल, छात्रावास, आदि का निर्माण कराना।

56– ट्रस्ट द्वारा समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य मेला, कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रशिक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर आदि का आयोजन करना।

57– ट्रस्ट द्वारा बेरोजगार एवं जरूरतमंद जन सामान्य को रोजगार हेतु ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध कराना। ट्रस्ट को उक्त ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध कराने के एवज में दी गई ब्याज मुक्त धनराशि की सुरक्षा हेतु प्रतिभू लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

58– ट्रस्ट द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में निःशुल्क रूप में सेवा प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556565

— न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था—

1— न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यासमण्डल द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जाएगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाइयों की सुचारु प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समिति एवं उपसमितियों का गठन किया जाएगा। गठित होने वाली प्रत्येक उपसमिति/समिति/प्रबंधसमिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा जिसे अध्यक्ष के पद नाम से भी जाना जाएगा। इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उपसमिति/समिति/प्रबंधसमिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के कार्यकारी अधिकार एवं वित्तीय अधिकार अध्यक्ष में निहित होंगे।

2— न्यास की बैठक सामान्यतः वर्ष में चार बार अर्थात् हर तीसरे माह आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह भी बैठक की जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में माह में दो बार भी बैठक की जा सकती है। बैठक हेतु न्यास मण्डल के सदस्यों को सूचना देने का माध्यम संदेश पंजिका/पत्र/ई–मेल/मोबाइल फोन होगा। सामान्यतः बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जाएगी, किन्तु आकस्मिक स्थिति में 24 घण्टे के अन्दर सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकेगी।

3— बैठक का कोरम न्यास मण्डल के 60 प्रतिशत न्यासी के अतिरिक्त 01 अन्य न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जाएगा। सामान्य न्यास मण्डल के बैठक की अध्यक्षता संस्थापक मुख्य न्यासी द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से निर्धारित बैठक की समय एवं तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही उत्तराधिकार अनुक्रम में न्यास मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

4— न्यास मण्डल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जाऐंगे। न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा कार्यों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के निर्णयाधीन होगा। इसी प्रकार न्यास मण्डल के

12

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556566

निर्णय से न्यास के अधीन संचालित होने वाले किसी भी कार्यक्रम / संस्था में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के निलंबन एवं समाप्ति का अधिकार भी न्यास मण्डल का होगा।

6– न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रम एवं संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथावांछित समितियाँ, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण सम्बन्धी नियामक संस्था शासन प्राधिकरण के अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग–अलग नियमावली बनाकर तथा उपनियमों का निर्माण करके किया जाएगा जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जाएगा। न्यास मण्डल का विधिवत गठन हो जाने के उपरान्त उक्त समितियों, प्रबन्धसमितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियमों के अन्तर्गत न्यासमण्डल के निर्णय से प्रभावी माना जाएगा तथा उसे कार्यक्रम / संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जाएगा। न्यास मण्डल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

– न्यास का कोश एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था–

न्यास की स्थापना के उपरान्त मूल रूप से उपलब्ध कराए गए रु0 11000 के अतिरिक्त धन कोष, दान, अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जाएगी।

1– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार का सदस्यता शुल्क लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क, दान, अनुदान, वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से ली जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जाएगा।

[illegible]

13

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556567

2— न्यास मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से [illegible] सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाई जा सकेगी। न्यास के कोश की व्यवस्था के लिए खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यताप्राप्त बैंक/डाकघर में ही खोला जाएगा। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को स्वयं एकल रूप से अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से करने का अधिकार होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण, अनुदान के सम्बन्ध में चल–अचल सम्पत्ति बंधक व गिरवी रखने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा तथा इसके सम्बन्ध में की गई औपचारिकता मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर के द्वारा की जाएगी।

3— किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए चन्दे/दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल–अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बंधक रखने का अधिकार न्यासमण्डल को होगा। दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारियों को दान दी हुई सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा स्वामित्व न्यास में निहित रहेगा।

4— न्यास के आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा जिसे प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा सम्परीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति पर सम्परीक्षित कराया जाएगा तथा न्यास का बजट प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति से पूर्व न्यास मण्डल की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

5— विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न अधिकारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों इत्यादि के पारिश्रमिक एवं अन्य का भुगतान समय से किए जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6— मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से अथवा सीमित रूप से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा इस [illegible] [illegible] सम्बन्धित

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

14

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये — TEN RUPEES

रु.10 — Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556551

...के नाम से विभिन्न बैंक में खाते इत्यादि खोलने एवं बन्द करने का अधिकार मुख्य न्यासी को न्यासमण्डल की सहमति से होगा।

7– इस न्यास के अन्तर्गत सरकार से अनुदानित एवं संचालित होने वाली किसी भी संस्था की वित्तीय व्यवस्था आय–व्यय तथा वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था न्यासमण्डल की अनुमति से तत्सम्बन्धी शासकीय नियमों के अन्तर्गत किए जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

5– न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था–

न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जाएगी।

1– न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाएगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जाएगी, उस पर भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

2– न्यास की ओर से न्यास की सम्पत्तियों सम्बन्धी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से अधिकृत होगा। आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य न्यासी को भी अधिकृत कर सकेंगे।

3– न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय अथवा विक्रय करने, चल–अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही मुख्य न्यासी, न्यासमण्डल की अनुमति से कर सकेंगे। न्यासमण्डल की सर्वसम्मति से न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर जनहित के कार्य हेतु देने अथवा निर्धन एवं दुर्बल व्यक्ति को दान स्वरूप अथवा किराये पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय न्यासमण्डल की सर्वसम्मति से ही मान्य होगा।

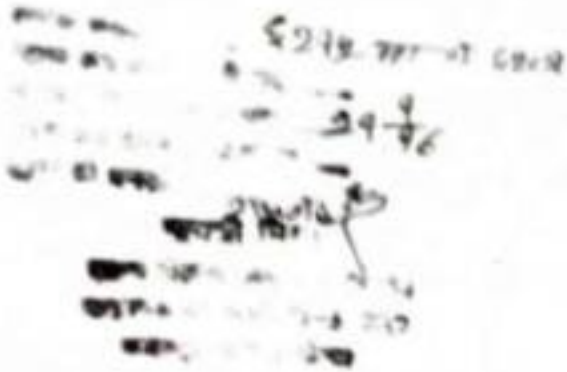

4– न्यास की किसी भी सम्पत्ति इत्यादि को निष्प्रयोज्य हो जाने पर अथवा न्यास हित में क्रय करने एवं विक्रय करने का अधिकार न्यासी को प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556552

5– न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यासमण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संचालित कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समितियों एवं प्रबन्ध समितियों तथा न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध न्यासमण्डल के निर्णय से की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही की अपील प्रथमतः मुख्य न्यासी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा मुख्य न्यासी उक्त अपील की सुनवाई करके लिया जाने वाला निर्णय अंतिम होगा।

6– न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्धसमिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्धसमिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जाएगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्धसमिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्धसमिति के स्थान पर विधिक रूप से स्थापित दूसरी प्रबन्धसमिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

7– न्यास द्वारा अथवा न्यास के विरुद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जाएगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अन्य न्यासी द्वारा सम्पन्न की जा सकेगी।

8– न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं दिन–प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन पर/संविदा पर मानद रूप में करेगा तथा न्यासमण्डल न्यास के हित संवर्द्धन के लिए वह सभी कार्य करेगा जो आवश्यक हों तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

6– न्यास के अभिलेख–

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AC 556554

5- न्यास के अंग- न्यास के निम्नलिखित दो अंग होंगे-
1- साधारण सभा,
2- प्रबन्धसमिति।

6- साधारण सभा-

अ- गठन- न्यास के मुख्य न्यासी व न्यासी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे।

ब- बैठकें- साधारण सभा की सामान्य बैठक 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स- गणपूर्ति- साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी, किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहूत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, सभयावधि का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेंडा के विषय पूर्ववत् ही रहेंगे।

द- विशेष वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा के विशेष अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जाएगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी।

य- साधारण सभा-

1-प्रबन्धसमिति का चुनाव करना।
2- वार्षिक आय-व्यय का बजट पारित करना।
3- न्यास की उन्नति के लिए नीति निर्धारित करना।
4- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना।
5- न्यास को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक अधिकार होगा।

17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AC 556553

[illegible] कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी [illegible] मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा का रजिस्टर इत्यादि रखा जाएगा।

लिहाजा बदुरुस्ती होश–ओ–हवास अपने बिना किसी जबरदस्ती व दबाव के अपनी खुशी व रजामंदी के गठन व स्थापना के बाबत यह न्यास विलेख निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

न्यास द्वारा स्थापित, संचालित एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली (प्रशासन योजना) निम्नलिखित रूप से होगी:–

नियमावली

1– कार्यक्षेत्र– जम्मू एंड कश्मीर के अतिरिक्त उत्तर–प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष।

2– न्यास के उद्देश्य– न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार।

3– न्यास की सदस्यता– न्यासमण्डल के मुख्य न्यासी व न्यासी साधारण सभा के सदस्य माने जाएँगे।

4– सदस्यता– किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारणों से स्वतः समाप्त हो जाएगी।

अ– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

ब– पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर।

स– किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

द– न्यास के नियमों का पालन न करने पर।

य– न्यास के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर।

र– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

ल– त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर।

व– अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर।

[illegible] [illegible]
29 [illegible]
[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556555

6– संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन एवं परिवर्द्धन बहुमत से पारित करना।

प्रबन्धसमिति–

क– गठन–

1– प्रबन्धसमिति के कुल सदस्यों की संख्या 4 होगी।

2– प्रबन्धसमिति का गठन न्यासमण्डल के सदस्यों (साधारण सभा) की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष होंगे, परन्तु अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्ष का चयन साधारण सभा द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि न्यास का मुख्य न्यासी ही न्यास के अन्तर्गत संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्धसमिति का अध्यक्ष होगा। यह शर्त न्यासी के उत्तराधिकारी पर भी लागू होगा।

3– प्रबन्धसमिति में न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/शिक्षक व कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर न्यूनतम 02 पदेन सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा।

4– प्रबन्धसमिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगा, परन्तु अगली प्रबन्धसमिति के गठन तक पिछली प्रबन्धसमिति प्रभावी रहेगी।

ख– बैठकें–

प्रबन्धसमिति की बैठकें सामान्यतया वर्ष में दो बार होंगी, किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्धसमिति इनके अतिरिक्त भी बैठकें कर सकता है।

ग– सूचना अवधि–

प्रबन्धसमिति सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व आकस्मिक बैठक 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को सूचना रजिस्टर/डाक द्वारा/दूरभाष द्वारा दिया जा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

19

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये | TEN RUPEES

भारत

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556556

सकता है। दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में बैठक के दिन कार्यवाही रजिस्टर के साथ-साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थिति के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।

ख– गणपूर्ति–

प्रबन्धसमिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 1/2 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक को पुन बुलाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

ग– रिक्त स्थान की पूर्ति–

प्रबन्धसमिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर न्यासमण्डल साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा शेष कार्यकाल के लिए पूर्ण की जाएगी।

– प्रबन्धसमिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

क– संस्था/शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

ख– संस्था/शिक्षण संस्थान का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

ग– आवश्यकतानुसार संस्था/शिक्षण संस्थान के लिए भूमि क्रय करना व उस पर भवन निर्माण कराना एवं संस्था/शिक्षण संस्थान के हित में आवश्यकतानुसार क्रय-विक्रय करना एवं पट्टे पर लेना-देना।

घ– संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गई सूचना व सम्बन्धित वांछित अभिलेखों को एकत्र करना व प्रदान करना।

ङ– राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का आयोजन करना, समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित सभी मंत्रालय, आयोग एवं विभागों, अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्रालय/आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त निगम, उत्तर-प्रदेश

CMHK

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556557

पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, श्रम मंत्रालय, वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता, ऋण व धन के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबल कार्यों में खर्च करना। आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति को बंधक/रेहन रखना।

6– प्रबन्धसमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य–

अ– अध्यक्ष–

1– समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

2– बैठकों के लिए तिथि का अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।

3– सदस्यों के नाम व कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना एवं सुनाना।

4– बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देना।

5– संस्था/शिक्षण संस्थान का कार्यपालक होगा।

6– समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

7– संस्था/ शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

8– सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।

9– वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति व बहाली करना।

10– संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित बिल व वाउचरों, चेकों, अनुबन्ध पत्रों, नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना एवं अपने पास सुरक्षित रखना।

11– संस्था/शिक्षण संस्थान की स्वीकृति की प्रत्याशी में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

12– पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

17

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 556558

13- संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्त करना।

14- संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा करना एवं उस पर नियंत्रण करना।

15- राजकीय सहायता, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

16- संस्थान/शिक्षण संस्थान की ओर से केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं अन्य सतरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।

17- संस्थान/शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन सुनिश्चित करना।

18- संस्था/शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के कार्यों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित करना।

उपाध्यक्ष-

1- अध्यक्ष द्वारा समस्त कार्यों का निष्पादन करना।

2- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों को पूर्ण रूप देना।

3- बैठकों की लिखित सूचना तैयार करना।

4- अध्यक्ष की सहमति से समस्त कार्य करना।

सचिव-

1- संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियंत्रण होगा।

2- समस्त बिल, वाउचरों का अध्यक्ष की सहमति से हस्ताक्षर करना।

3- पारित वार्षिक बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति अध्यक्ष की सहमति से देना।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AC 556559

4– संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

ब–कोषाध्यक्ष–

1– सदस्यों के चन्दा व अन्य श्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीदें देना व प्राप्त धन को किसी निकटस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना।

2– अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों व वाउचरों का भुगतान करना।

3– संस्था/शिक्षण संस्थान के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना तथा उसे अध्यक्ष से अनुमोदित कराकर न्यासमण्डल साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

4– संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रतिवर्ष का ऑडिट कराकर निरीक्षण हेतु अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

[illegible]

93

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   83AC 556560

9- संस्था/शिक्षण संस्था के कोष-

संस्था/शिक्षण संस्था के समस्त सम्बन्धित कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर व एफ०डी० के रूप में जमा किया जाएगा जिसका संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाएगा।

संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्धसमिति के किन्हीं कारणोवश भंग होने की दशा में प्रबन्धसमिति द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल-अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जाएगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर अधिकार होगा। भंग प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी एवं सदस्य का उस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।-0-

24

भारतीय गैर-न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AC 550927

आज दिनांक 1-2-2017 ई
प्रतिभूम कर्ता राज कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट गोण्डा

Ikramullah Khan S/o Late Karim Ullah Khan By PCO Faizabad Road Gonda

Parvez Ahmad S/o Mehdi Hasan Bypass Faizabad Road Gonda

2093

1.2.17 [illegible]

आज दिनांक **01/02/2017** को

बही सं **4** जिल्द सं **47**

पृष्ठ सं **189** से **238** पर क्रमांक **6**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक

गोण्डा(सदर)

1/2/2017